माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं आरपी नौरथ के समक्ष,

रणधीर सिंह **-याचिकाकर्ता**

बनाम

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
और अन्य ***-प्रतिवादी***

2006 की सीडब्ल्यूपी संख्या 395

27 जुलाई 2012

भारत का संविधान, 1950-कला. 226 -अनिवार्य सेवानिवृत्ति - पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड-1 भाग-1 - पंजाब सिविल सेवा नियम खंड एच - आरआई। 5.32 (हरियाणा के लिए लागू) - उच्च न्यायालय की सिफारिश पर याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया - एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणियाँ - याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया - याचिकाकर्ता के 50 वर्ष से अधिक आयु के बाद सेवा में बनाए रखने के मामले पर पूर्ण न्यायालय द्वारा विचार किया गया और उसे खारिज कर दिया गया। सेवा से सेवानिवृत्त किया गया था - इसे चुनौती - माना गया कि 'संदिग्ध सत्यनिष्ठा' की टिप्पणियों के विवाद को ठोस सामग्री के साथ समर्थित किया जाना चाहिए, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है - प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा बनाई गई राय पूर्ण पीठ की कसौटी पर खरी उतरी है - न्यायिक हस्तक्षेप केवल तभी होता है जब राय का गठन निर्भर करता है विकृत विचार - रिट खारिज।

अभिनिर्धारित किया गया कि यह तर्क कि 'संदिग्ध सत्यनिष्ठा' की टिप्पणियों को हमेशा ठोस सामग्री के साथ समर्थित किया जाना चाहिए, का भी कोई तथ्यात्मक या कानूनी आधार नहीं है। हम ऐसा इस कारण से कह रहे हैं कि एक प्रशासनिक न्यायाधीश एक न्यायिक अधिकारी की समग्र प्रतिष्ठा का आकलन करने के अपने निरंतर प्रयास में साथियों से अच्छी जानकारी प्राप्त करने के अलावा मुकदमेबाज

जनता, बार के सदस्यों, अन्य सम्मानित अधिकारियों के साथ बातचीत करता है। यह आवश्यक नहीं है कि न्यायिक अधिकारी हमेशा प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा पकड़े जाने के लिए सबूतों का एक निशान छोड़ दे। राय का गठन एक कठिन और पवित्र कर्तव्य है जिसे गंभीरता से विचार करके किया जाता है। एक प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा राय की प्रामाणिक अभिव्यक्ति, जो पूर्ण न्यायालय की कसौटी पर खरी उतरी है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप की मांग तभी करेगी जब ऐसी राय का गठन पूरी तरह से विकृत विचारों और इसके आधार पर हो।भरण-पोषण से अधिकारी के साथ गंभीर अन्याय होगा। यह अच्छी तरह से तय है कि इस तरह की कार्रवाई न तो सजा है और न ही यह तब तक कलंक लगती है जब तक कि किसी विशिष्ट कदाचार के लिए सजा देने के लिए पारित नहीं किया जाता है।

(पैरा 23)

***आगे* अभिनिर्धारित किया गया कि** संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत काली भेड़ों को अनुशासित करने या मृत लकड़ी को हटाने की उच्च न्यायालय की शक्ति न्यायिक सेवाओं के हित में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है जो कार्यकारी कार्यों के साथ अतुलनीय है।

(पैरा 24)

***आगे* अभिनिर्धारित किया गया कि,**'ईमानदारी' के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियों का दंश बाद की बेदाग रिपोर्टों से वास्तव में दूर नहीं हुआ है और एक विशेष आयु या सेवा अवधि के बाद सेवा में बनाए रखने के मुद्दे पर विचार करते समय, सक्षम प्राधिकारी विचार करने और अधिकारी के विरुद्ध ऐसी प्रतिकूल सामग्री पर भरोसा करने के अपने अधिकार में है ।

(पैरा 25)

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली और अधिवक्ता शौर्य शर्मा मौजूद रहे

कंवलजीत सिंह, वरिष्ठ वकील, राजेश गर्ग, वकील, के साथ *प्रतिवादी क्रमांक 1 के लिए*

आरएस कुंडू, एडिशनल एजी *हरियाणा प्रतिवादी संख्या 2 के लिए*

सूर्यकांत, जे.

(1) हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के एक पूर्व सदस्य के कहने पर यह रिट याचिका, दिनांक 10.08.2005 (अनुलग्नक पी 18) के आदेश को रद्द करने की मांग करती है, जिसके

तहत उन्हें प्रतिवादी संख्या द्वारा की गई सिफारिशों पर हरियाणा सरकार द्वारा सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। 1-उच्च न्यायालय.

(2) विवरण के अभाव में, याचिकाकर्ता 11.05.1981 को हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में शामिल हुआ और 20.12.1991 से 31.05.1994 को छोड़कर विभिन्न स्थानों पर उप न्यायाधीश-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया, जब वह लीगल रिमेंबरेंसर, यूटी चंडीगढ़ का एक गैर-न्यायिक पद पर तैनात था। याचिकाकर्ता को दिसंबर, 1997 में हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में पदोन्नत किया गया था, जिसमें वह 02.02.1998 से शामिल हुआ था।

(3) याचिकाकर्ता को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव के माध्यम से उच्च न्यायालय से दिनांक 12.10.1998 को एक संचार प्राप्त हुआ, जिसमें माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई वर्ष 1997-98 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी दी गई थी, जिसमें (i) याचिकाकर्ता का ज्ञान था कानून और प्रक्रिया का पालन "अपेक्षाकृत नहीं" किया गया; (ii) वह "न तो मेहनती और न ही तत्पर" पाया गया; (iii) उनके निर्णय लिखने के तरीके का मूल्यांकन "दोषपूर्ण और कानून के अनुसार नहीं" के रूप में किया गया था; (iv) याचिकाकर्ता की पर्यवेक्षण और नियंत्रण की क्षमता "अपेक्षाकृत नहीं" पाई गई; (v) उनका मूल्यांकन "अपने वरिष्ठों, अधीनस्थों और सहकर्मियों के प्रति विनम्र नहीं" होने के लिए किया गया था; (vi) बार के सदस्यों के साथ उनका व्यवहार "अच्छा नहीं" था; और (vii) अंतिम ग्रेडिंग में, उन्हें 'सी' श्रेणी यानी 'ईमानदारी संदिग्ध' का अधिकारी आंका गया। एसीआर 02.06.1997 से 31.03.1998 तक की अवधि से संबंधित है जब याचिकाकर्ता गुड़गांव में पहले सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और फिर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में तैनात था।

(4) प्रतिकूल टिप्पणियाँ प्राप्त होने पर याचिकाकर्ता ने एक अभ्यावेदन दिनांक 24.10.1998 (अनुलग्नक पी 7) के माध्यम से कुछ जानकारी मांगी थी, लेकिन प्रशासनिक न्यायाधीश ने ज्ञापन दिनांक 06.11.1998 (अनुलग्नक पी 8) के माध्यम से इसे अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 27.11.1998 को उपरोक्त प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया (अनुलग्नक पी एल1)।

(5) इस बीच जिस प्रशासनिक न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की थी, उसे 02.12.2001 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

(6) प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दिनांक 27.11.1998 का

प्रतिनिधित्व माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के समक्ष 08.01.1999 को रखा गया था, जिन्होंने अंततः ज्ञापन दिनांक 10.02.2004 (अनुलग्नक पीएल 2) के माध्यम से इसे खारिज कर दिया।

(7) इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपने एसीआर (1997-98) में प्रतिकूल टिप्पणियों पर हमला करते हुए दिनांक 13.03.2004 और 15.02.2005 (अनुलग्नक पी 13 और पी 14) के दो और विस्तृत अभ्यावेदन दिए, लेकिन उनके पहले अभ्यावेदन के साथ-साथ उन अभ्यावेदन को भी पूर्ण समर्थन नहीं मिला। जैसा कि याचिकाकर्ता को ज्ञापन दिनांक 30.07.2005 (अनुलग्नक पी15) के माध्यम से बताया गया था।

(8) 50 वर्ष की आयु के बाद सेवा में बनाए रखने के याचिकाकर्ता के मामले पर भी उसी पूर्ण न्यायालय में विचार किया गया और उसके पूरे सेवा रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद, उसे सेवा में कोई विस्तार नहीं देने का निर्णय लिया गया। उच्च न्यायालय ने तदनुसार सिफारिशें कीं और उसके अनुसरण में, राज्य सरकार ने पंजाब सिविल सेवा नियम (खंड- I भाग- I) के नियम 3.26 (डी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 10.08.2005 (अनुलग्नक पी 18) के तहत आदेश पारित किया। हरियाणा में लागू पंजाब सिविल सेवा नियम (खंड-II) के नियम 5.32 के साथ, याचिकाकर्ता को सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया।

(9) पीड़ित याचिकाकर्ता ने सबसे पहले 2005 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 494 के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिस पर, जैसा कि 03.10.2005 के आदेश (अनुलग्नक पीएल) से पता चलता है, पर विचार नहीं किया गया और याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी गई। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की भी स्वतंत्रता है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने तत्काल रिट याचिका दायर की।

(10) प्रतिवादी नंबर 1 - उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक आपत्ति लेते हुए अपना लिखित बयान दायर किया है कि माननीय न्यायाधीश जिनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए गए हैं, उन्हें एक पार्टी प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए ऐसे आरोपों पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता को सेवा विस्तार क्यों नहीं दिया गया, बल्कि 'सार्वजनिक हित' में सेवानिवृत्ति की सिफारिश क्यों की गई। यह कहा गया है कि माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश, जिन्होंने 01.06.1997 से 09.10.1997 तक गुड़गांव में याचिकाकर्ता के काम की निगरानी की, ने कोई टिप्पणी दर्ज नहीं की, लेकिन शेष अवधि के लिए, अगले प्रशासनिक न्यायाधीश ने प्रश्न में प्रतिकूल टिप्पणियां दीं। यह स्पष्ट किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 27.11.1998 में पक्षपात के आरोप लगाए थे और इसके लिए तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश को भी जिम्मेदार ठहराया था। तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश ने दिनांक 08.01.1999 के आदेश द्वारा मामले को माननीय श्री

न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी (जैसा कि उस समय उनका आधिपत्य था) के पास भेजा था, जिन्होंने दिनांक 13.02.2001 के निम्नलिखित स्व-भाषी नोट के माध्यम से याचिकाकर्ता के आरोप में कोई सार नहीं पाया:-

> 'मैंने श्री के अभ्यावेदन का अध्ययन कर लिया है। रणधीर सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव और संपूर्ण संबंधित रिकॉर्ड। मेरी राय में, अधिकारी द्वारा माननीय निरीक्षण न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने माननीय निरीक्षण न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों को अमान्य करने की मांग के लिए आधार तैयार करने के लिए कहानी गढ़ी है। ”

(11) इसके बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया और पूर्ण न्यायालय ने भी ऐसा ही किया। उच्च न्यायालय ने अपने जवाब में याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राप्त कुछ शिकायतों का भी उल्लेख किया है जो बाद में दायर की गईं।

(12) हरियाणा राज्य ने भी एक संक्षिप्त उत्तर/शपथ पत्र दायर किया है जिसमें बताया गया है कि याचिकाकर्ता को नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिशों पर 'सार्वजनिक हित' में सेवानिवृत्त किया गया है, जो प्रकृति में बाध्यकारी हैं।

(13) याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के साथ-साथ राज्य सरकार के लिखित बयानों की प्रतिकृतियां दायर की हैं, जिसमें मुख्य रूप से तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश के खिलाफ शत्रुता के आरोपों को दोहराया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश को उपकृत करने से कथित तौर पर इनकार करने और उनके क्रोध को आमंत्रित करने की घटनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है। उसी माननीय न्यायाधीश द्वारा कथित तौर पर प्रतिशोधात्मक तरीके से कुछ अन्य न्यायिक अधिकारियों को दी गई प्रतिकूल टिप्पणियाँ भी सहायता के लिए दबायी गयी हैं। ऐसे सूक्ष्म विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं जिनसे पता चलता है कि विभिन्न स्तंभों में की गई टिप्पणियाँ रिकॉर्ड के विपरीत थीं।

(14) उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की प्रतिकृति पर अपना प्रत्युत्तर भी रिकॉर्ड पर रखा है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित अन्य अधिकारियों के मामलों को अलग किया गया है, जिस पर याचिकाकर्ता ने एक और जवाब प्रस्तुत किया है।

(15) हमने पक्षों के वकील को सुना है और याचिकाकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के सारांश और पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखे गए 'एजेंडा नोट' सहित रिकॉर्ड का अध्ययन किया है, जिसके कारण याचिकाकर्ता

के अभ्यावेदन और सेवा से उसकी सेवानिवृत्ति के लिए सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया। .

(16) याचिकाकर्ता की ओर से पुरजोर दलील दी गई कि:-

i. वर्ष 1997-98 की प्रतिकूल रिपोर्ट तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा शक्तियों के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग से दूषित है;

ii. तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ कुल्हाड़ी थी, जैसा कि याचिकाकर्ता से असफल रूप से मांगे गए अनुचित अनुग्रह के कई उदाहरणों से स्थापित होता है;

iii. चुनौती के तहत एकल रिपोर्ट को छोड़कर याचिकाकर्ता के पास अपने पूरे सेवा करियर में बेदाग रिकॉर्ड है;

iv. 1997-98 से पहले और बाद में उनका कार्य, आचरण और सत्यनिष्ठा लगातार संदेह से मुक्त पाई गई है;

v. एकान्त प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर 50 वर्ष की आयु में अनिवार्य सेवानिवृत्ति को 'सार्वजनिक हित' में नहीं कहा जा सकता;

vi. याचिकाकर्ता को निष्पक्ष सुनवाई नहीं दी गई और प्रतिकूल टिप्पणियों को उचित ठहराने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा उसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई;

vii. 'संदिग्ध सत्यनिष्ठा' जैसी टिप्पणियों को तब तक शून्य या यंत्रवत् दर्ज नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसी टिप्पणियों को प्रमाणित करने के लिए सबूत न हों, जो कि तत्काल मामले में स्पष्ट रूप से गायब है।

(17) इन तर्कों को (i) आरएस ढुल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (ii) अवतार सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (iii) अमरीक सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (iv) के रूप में रिपोर्ट किए गए केस कानून की सहायता से बढ़ावा दिया गया। प्रभ दयाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (v) एसके बंसल बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय, (vi) डॉ, संत राम कपूर बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ और अन्य (2004 का सीडब्ल्यूपी नंबर, 1744) 06.04.2011 को निर्णय लिया गया; (vii) मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी चंद अवधिया और अन्य, (viii) एस. प्रताप सिंह बनाम पंजाब राज्य, (ix) ईश्वर चंद जैन बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अन्य, (x) दिल्ली परिवहन निगम बनाम डीटीसी मजदूर कांग्रेस और अन्य, (xi) बैकुंठ नाथ दास और अन्य बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, बारीपदा

और अन्य,(xii) यूपी जल निगम और अन्य बनाम प्रभात चंद्र जैन, (xiii) सुखदेव बनाम आयुक्त, अमरावती डिवीजन, अमरावती और अन्य, (xiv) यूपी राज्य बनाम यमुना शंकर मिश्रा और अन्य, (xv) आरसी सूद बनाम उच्च न्यायालय राजस्थान और अन्य में न्यायपालिका, (xvi) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बनाम ईश्वर चंद जैन और अन्य, (xvii) मदन मोहन चौधरी बनाम बिहार राज्य और अन्य, (xviii) सरनाम सिंह बनाम इलाहाबाद में उच्च न्यायालय, (xix)) शिव प्रकाश मिश्रा बनाम उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

(18) दूसरी ओर, उच्च न्यायालय और हरियाणा राज्य के विद्वान वकील ने यह आग्रह किया

i. याचिकाकर्ता को तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसे एक पक्ष प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया है;

ii. प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश और पूर्ण न्यायालय द्वारा स्वतंत्र रूप से विचार किया गया था, जिसमें पक्षपात या पक्षपात के लिए कोई जगह नहीं थी, जैसा कि उनके द्वारा आरोप लगाया गया था;

iii. माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश, जिन्होंने प्रतिकूल टिप्पणी दी थी, ने उपरोक्त (ii) प्रक्रिया में उन कारणों से भाग नहीं लिया जिनके कारण उनका स्थानांतरण हो गया था;

iv. प्रतिकूल टिप्पणियों के पीछे पूर्वाग्रह या मकसद के आरोपों को विशेष रूप से एक माननीय वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा संदर्भित और जांचा गया था, जिन्होंने उन आरोपों में कोई तथ्य नहीं पाया, जिन्हें बाद में विचार किया गया था;

v. याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित बाद की अच्छी रिपोर्टों ने पिछली प्रतिकूल टिप्पणियों के दंश को दूर नहीं किया;

vi. अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश 'सार्वजनिक हित' में पारित किया गया है, सज़ा के तौर पर नहीं;

सातवीं. न्यायिक सेवाओं के मामले में औचित्य, नैतिक मूल्यों, ईमानदारी और नैतिकता के मानकों और मापदंडों को सार्वजनिक विश्वास अन्याय वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए बहुत ऊंचे स्तर पर रखा और मनाया जाना चाहिए।

(19) उत्तरदाताओं ने (i) कमल प्रसाद (हवलदार) बनाम भारत संघ (19), (ii) जार नेल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (20), (iii) एलपीएस तोमर के आधार पर भी अपने तर्कों का समर्थन किया है। बनाम हरियाणा राज्य (21), (iv) केवल कृष्ण लोमस बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2005 का सीडब्ल्यूपी संख्या 3704)

13.01.2009 को निर्णय लिया गया; (पी एंड एच); (v) भारत संघ और अन्य बनाम ईजी नमहुदिरी (22), (vi) भारत संघ बनाम अजॉय कुमार पटनायक (23), (vii) उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम राम चंद्र दास (24), (vii) जुगल चंद्र सैकिया बनाम असम राज्य और अन्य (25), (ix) प्यारे मोहन लाल बनाम झारखंड राज्य और अन्य (26), (x) राजेंद्र सिंह वर्मा (मृत) एलआर बनाम दिल्ली के एनसीटी के उपराज्यपाल और अन्य (27)).

(20) वास्तव में कोई झगड़ा नहीं हो सकता है और न ही याचिकाकर्ता की ओर से इस पर गंभीरता से विवाद किया जा सकता है कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या दुर्भावनापूर्ण अभ्यास या शक्ति के दुरुपयोग के आरोपों पर न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया जा सकता है और न ही वह इसके संबंध में अपने विचार व्यक्त कर सकता है। उस व्यक्ति को इसका विरोध करने का अवसर दिए बिना जिसके विरुद्ध ऐसे आरोप लगाए गए हैं। यह ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांत का एक पहलू यह भी है कि किसी की भी अनसुनी निंदा नहीं की जानी चाहिए। निर्णयों की श्रृंखला में यह माना गया है कि व्यक्तिगत दुर्भावना के आरोपों पर विचार नहीं किया जा सकता हैजब तक कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ऐसे आरोप लगाए गए हैं, उसे सह-नामांकित नहीं किया गया है [संदर्भ। (i) पंजाब राज्य और अन्य बनाम चमन लाल गोयल (28), (ii) फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (29), (iii) मेडले मिनरल्स इंडिया लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य (30), (iv)पुरुषोत्तम कुमार झा बनाम झारखंड राज्य (31)।

(21) इसलिए, हम याचिकाकर्ता द्वारा तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए द्वेष के आरोपों पर विचार करने या अपने विचार व्यक्त करने से इनकार करते हैं, जिसे उन्होंने पहले प्रतिवादी द्वारा अपने उत्तर में इस आशय की आपत्ति के बावजूद एक पार्टी प्रतिवादी के रूप में शामिल करने के लिए नहीं चुना है। /शपत पात्र।

(22) याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को अन्यथा निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता क्योंकि रिकॉर्ड बताता है कि प्रशासनिक न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए आरोपों के साथ याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व प्राप्त होने पर, माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने मामले को एक अन्य माननीय वरिष्ठ के पास भेज दिया। न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के आरोपों पर स्वतंत्र रूप से विचार किया और उसमें कोई तथ्य नहीं पाया। एक स्पष्ट टिप्पणी की गई कि आरोप एक प्रतिकूल रिपोर्ट के परिणामों से बचने के लिए बाद में सोचा गया था। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के मामले में हालांकि सक्षम प्राधिकारी अर्ध-न्यायिक कार्यवाही की समानता पर तथ्य-खोज जांच करने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी और सभी निष्पक्षता में, याचिकाकर्ता के आरोपों की जांच प्रोप्रिया कॉसा में निमो के सिद्धांत का पालन करते हुए की गई थी। ज्यूडेक्स, एस्से डे बेट (किसी को भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए) लेकिन निराधार पाए गए। उनके अभ्यावेदन पर मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं विचार किया और खारिज कर दिया। पूर्ण न्यायालय ने प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने वाले प्रशासनिक न्यायाधीश की अनुपस्थिति में याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण पर भी विचार किया, हालांकि टिप्पणी देने वाले न्यायाधीश की उपस्थिति शायद ही

कभी सामूहिक ज्ञान पर आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया पर प्रभाव डालती है।

(23) याचिकाकर्ता का यह तर्क कि 'संदिग्ध सत्यनिष्ठा' की टिप्पणियों को हमेशा ठोस सामग्री के साथ समर्थित किया जाना चाहिए, का भी कोई तथ्यात्मक या कानूनी आधार नहीं है। हम ऐसा इस कारण से कहते हैं कि एक प्रशासनिक न्यायाधीश अपने निरंतर प्रयास में एक न्यायिक अधिकारी की समग्र प्रतिष्ठा का मूल्यांकन करता हैवादी जनता, बार के सदस्यों, अन्य सम्मानित व्यक्तियों के अलावा साथियों से अच्छी ब्रीफिंग प्राप्त करना। यह आवश्यक नहीं है कि न्यायिक अधिकारी हमेशा प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा पकड़े जाने के लिए सबूतों का एक निशान छोड़ दे। राय का गठन एक कठिन और पवित्र कर्तव्य है जिसे गंभीरता से विचार करके किया जाता है। हालाँकि सामग्री सभी प्रकार के संदेहों को दूर कर सकती है लेकिन सहायक सबूत के अभाव में भी किसी अधिकारी की 'ईमानदारी' या 'ईमानदारी' पर विचारों की अभिव्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी बाधा नहीं है। एक प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा राय की प्रामाणिक अभिव्यक्ति, जो पुल कोर्ट की कसौटी पर खरी उतरी है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप की मांग तभी करेगी जब ऐसी राय का गठन पूरी तरह से विकृत विचारों पर आधारित हो और इसके निर्वाह से गंभीर अन्याय हो। अफ़सर। याचिकाकर्ता इस दोहरे परीक्षण को पूरा करने में बुरी तरह विफल रहा है क्योंकि उसके पूर्वाग्रह या दुर्भावनापूर्ण उत्पीड़न के आरोप निराधार हो गए हैं। इस प्रकार वर्ष 1997-98 के लिए प्रतिकूल टिप्पणियों में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

(24) अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को ध्यान में रखते हुए, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि इस तरह की कार्रवाई न तो सजा है और न ही यह तब तक कलंक लगती है जब तक कि किसी विशिष्ट कदाचार के लिए सजा देने का प्रस्ताव पारित न किया जाए। प्यारे मोहन लाल (सुप्रा)]। वास्तव में भारत संघ बनाम अजॉय कुमार पटनायक मामले (सुप्रा) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामले में भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को बरकरार रखा, जहां आरोपों की प्रकृति अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी कदाचार की थी। संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत काली भेड़ों को अनुशासित करने या मृत लकड़ी को उखाड़ने की उच्च न्यायालय की शक्ति न्यायिक सेवाओं के हित में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है जो कार्यकारी कार्यों के साथ अतुलनीय है। कर्तव्यों की विशिष्ट प्रकृति, अर्थात् न्याय प्रदान करना, उच्च न्यायालय को संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों को सेवा में जारी रखने की अनुमति नहीं देता है, जैसा कि राजेंद्र सिंह केरमा के मामले (सुप्रा) में हाल के एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से सुनाया गया है।

(25) यह दलील कि एक प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर 'सार्वजनिक हित' में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता, भी पूरी तरह से गलत है। 'ईमानदारी' के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियों का दंश बाद की बेदाग रिपोर्टों से वास्तव में दूर नहीं हुआ है और एक विशेष आयु या सेवा अवधि के बाद सेवा में बनाए रखने के मुद्दे पर विचार करते समय, सक्षम प्राधिकारी विचार करने और उस अधिकारी के खिलाफ ऐसी प्रतिकूल सामग्री पर भरोसा करने के अपने अधिकार में है। ।

(26) इसी तरह, संत राम कपूर के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच का फैसला भी याचिकाकर्ता की मदद नहीं करता है, क्योंकि उद्धृत फैसले में अधिकारी की ईमानदारी के खिलाफ एक फुसफुसाहट भी नहीं थी और इस तथ्य को बेंच द्वारा विधिवत देखा गया था। इसका आदेश दिनांक 06.04.2011 है।

(27) उपरोक्त चर्चा के आलोक में और ऊपर बताए गए कारणों से हमें इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है, जिसे लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

(28) *दस्ती.*

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

विनीत कुमार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
झज्जर, हरियाणा